

लॉकडाउन में काम छूटा तो छापने लगा नकली नोट

घर पर ही लैपटाप व प्रिंटर के माध्यम से छापता था नोट, ढाई लाख के नकली नोट बरामद

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। फाइव क्लब में काम करने वाले युवक की काम लॉकडाउन के कारण छूट गया तो उसने यू ट्यूब पर नोट छापने की जानकारी एकत्र कर नोट छापने की सामग्री लेकर आया और किराए के कमरे में नकली नोट छापना शुरू कर दिया और हजारों नकली नोट वह सब्जी मंडी में चला चुका है। आरोपी केवल 12 वीं तक ही पकड़ा है।

डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट छाप कर छिपे हुए नकली नोटों के बंडल (गड्डी) को अपने पास रखे होने व उनको मार्केट, सब्जीमंडी में खपाने जा रहा है मुखबिर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर उक्त सन्देशी को पकड़कर कब्जे में लिया गया। आरोपी पहले भी चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है।

अधिकांश नोटों पर एक ही नंबर

संदेही हिकमत अमली से पुनः पुछताछ कर पूरा नाम पता पूछा पूछने पर अपना पूरा नाम राजरतन पिता अनिल तायडे उम्र 25 साल निवासी लियाकत अली का किराए का मकान, अखिल राज हास्पीटल के सामने, हक मस्जिद की गली, थाना आजाद नगर जिला इन्दौर होना बताया एवं संदेही राजरतन की



जामा तलाशी ली गई उसके पास से एक मोबाइल हैपसेट एवं बाद एक काले रंग के बेग की तलाशी लेते कुल 2,53,100/- रूपए के मिले। उक्त सभी नोटों को सूक्ष्मता से देखने पर नकली नोटों जैसे प्रतीत होने पर नोट को मार्का व प्रिंट व क्वालिटी व नोटों के नंबर को देखने पर अधिकतर नोट एक ही नंबर व अक्षर के पाए गए जो प्रथम दृष्टया नकली नोट होना पाया गया।

किराए के मकाने को बनाया नोट प्रेस

आरोपी रामरतन से पुछताछ मेमोरैण्डम के आधार पर आजाद नगर अपने किराये के मकान पर अपने कमरे में लैपटोप, प्रिन्टर व ए-4 साइज का हाई क्वालिटी का पेपर की मदद से 100 पुराना नोट, 500, 2000 के नये नोट नोटों की

कक्षा 12 तक पढा लिखा है आरोपी

आरोपी कक्षा 12 तक पढा लिखा है और केंसर बाग रोड फाइट क्लब में टेंडर का काम करता है। लॉकडाउन में काम छुट गया वा जिस कारण अपने लैपटाप पर यूट्यूब चैनल पर रखाये प्रिंट करने की जानकारी एवं नकली नोट की न्यूज देखकर लगेने पर हाईक्वालिटी का प्रिंटर खरीदा और असली नोटों को कागज पर विपका हुआ मार्क तैयार कर प्रिंट लेने लगा। जिसमें 100 के पुराने नोटों को छापाने में आसानी रहती थी मजदूर वर्ग गांव वाले एवं हाथ टेला आदि से खरीदी करने में 100 रुपये का उपयोग करता था। आरोपी से संबंधित अन्य व्यक्तियों व और नकली नोटों के संबंध में पुछताछ की जा रही है।

कापी व स्कैन कर अगे-पीछे रंगीन प्रिन्ट लेकर ग्लास कटर व स्कैल की मदद से हबहु काटता था जो आरोपी की निशानदेही पर घर पर ही लैपटाप व प्रिंटर, नोट छापने में उपयोग किये ए-4 साइस के कागज 100,500,2000 के मार्का में उपयोग किये असली 03-03 नोट एवं कागजों पर छपे 100,500,2000 रु. एवं साथ ही नकली नोट को काटने में उपयोग में लाये ग्लास कटर व स्कैल जत किये गये। आरोपी पिछले 1 माह से नोट बनाने का काम कर रहा था। आरोपी के द्वारा अब तक सीमावर्ती गांवों एवं सब्जीमंडी में विगत एक माह से करीब 10 से 20 हजार रुपये से ऊपर 100-100 के नोटों का खपना बताया।



स्टेट बार कौंसिल का प्रतिनिधि मंडल न्यायमूर्ति से मिला

इंदौर। मप्र स्टेट बार कौंसिल का प्रतिनिधि मंडल मुख्य न्यायमूर्ति म प्र श्री मो. रफीक से मुलाकात कर अपनी मुख्य मांगों के सम्बंध में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि डेजिगनेटेड सीनियर्स की नियुक्ति, जिला न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों/न्यायमूर्तिगण की निर्धारित संख्या में कमी की पूर्ति, महिला अधिभाषको/अल्पसंख्यक वर्ग सहित अनुसूचित जाति जनजातियों के योग्य अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पद पर नियुक्ति सम्बन्ध के अलावा विशेषकर उच्च न्यायालय प्रांगण में नवीन चेम्बरो के निर्माण सहित अधिभाषक वर्ग के हितार्थ कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल से चर्चा पश्चात मुख्य न्यायमूर्ति ने सभी मुद्दों पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। स्टेट बार कौंसिल के प्रतिनिधि सदस्यों ने मप्र के मुख्य न्यायमूर्ति श्री मो.रफीक के प्रथम नगर आगमन पर शाल श्रीफल से सम्मनित कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के स्टेट बार कौंसिल के सदस्य नरेंद्र कुमार जैन, जय हाडिया एवं प्रताप मेहता सहित इंदौर अधिभाषक संघ के पूर्व सचिव सौरभ मिश्रा एवं आसिफ वारसी अधिवक्ता उपस्थित थे।

पुरानी बात को लेकर आपस में मिड़े दो पक्ष

इंदौर। लॉकडाउन के बाद चाकूबाजी व विवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तुकोगन थाना क्षेत्र स्थित पंचम की फेल में मंगलवार को भी दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई और दोनों ने एक-दूसरे पर चाकू से वार किए। इसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है। पुलिस तक मामला पहुंचा तो जांच के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के न्यायिक पंचम की फेल निवासी रजत पुत्र जितेन्द्र गोमे ने आरोपित टीपू उर्फ कैलाश श्रीवास निवासी गौड़ महाराज की चाल के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि आरोपित मंगलवार को मोहल्ले में आए और गाली-गलौज करने लगे। इस दौरान आरोपित ने चाकू निकाला और वार कर दिया। चाकू लगते ही रजत निकलने लगा। आरोपित ने वहां से जाते हुए कहा कि वह उसे जान से खतम कर देगा। वहीं दूसरे पक्ष से टीपू उर्फ कैलाश ने पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि आरोपित रजत, कमीर मराठा, गोल्ड पुत्र मेशर तीनों आए और पुरानी बात पर गालियां देने लगे। इसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। सभी ने जमकर पीटा, तभी रजत ने चाकू निकाला और उस पर वार कर दिया। वार करने के दौरान टीपू ने चाकू फेंक दिया, जिससे उसके हाथ में चोट लगी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सभी आरोपितों को हिरासत में लिया है।

अनजान नंबर से फोन किया, मैसेज में गालियां और धमकी

इंदौर। अशीर्वाद विला निवासी में रहने वाले 35 वर्षीय वकील निलय पिता प्रकाश वर्मा ने लखीपुरा थाने में अनजान नंबर के खिलाफ धमकी व गालियां देने के मामले में केस दर्ज करवाया है। निलय ने बताया कि उनके नंबर पर कई दिनों से गालियों भरे मैसेज आ रहे थे। मैसेज कमा देखते ही इस्लाम इजने दिनों से धमकी नहीं दिया। मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो अनजान नंबर से फोन भी आया। मैसेज में मारपीट की धमकी भी दी गई थी। कानूर आइडी पर फोन करने का नाम हिंदेस कंवर आ रहा है, पुलिस को यह नाम बता भी दिया है। करीब एक साल पहले भी इसी तरह से अनजान नंबर से फोन व मैसेज आते थे, फोन लगाओ तो कोई उदाता नसी थी। तभी भी कोई फुटफुट नाम व्यक्ति फोन और मैसेज करता था। इस बार मजबूर होकर पुलिस को शिकायत की। पुलिस नंबर के आधार पर आरोपित की तलाश कर रही है।

थैरेपी सेंटर की आपरेटर से दुष्कर्मी

इंदौर। एक थैरेपी सेंटर की कम्प्यूटर आपरेटर से दुष्कर्मी का मामला सामने आया है। हिंदूवादीयों के विरोध के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ तब जेदद, दुष्कर्मी का केस दर्ज कर एजाज नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने धर्म व नाम छुपाकर संबंध बनाए थे। विजय नगर थाना पुलिस के मुताबिक महिला शादीयुव है और एक थैरेपी सेंटर में कम्प्यूटर आपरेटर की नौकरी करती है। मंगलवार रात वह हिंदूवादीयों के साथ थाने आई और एजाज खान उर्फ अजुज के खिलाफ केस दर्ज करवाया। महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में एजाज से विजय नगर क्षेत्र में मुलाकात हुई थी। आरोपित ने उस वक्त बताया उसका नाम अजुज है। उसने तिलक भी लगा रखा था। इसके बाद आरोपित सेंटर के अन्य कर्मचारियों के साथ होटल सूर्या में हुई मीटिंग में मिला और एक-दूसरे को मोबाइल नंबर शेयर कर लिए। दोनों की देवरी हो गई और महिला को शादी का झांझा देकर उसके साथ शादीसक संबंध बना लिए। आरोपित ने शादी नहीं की तो थक बढ़त तब वता वता अजुज का असली नाम एजाज है। दे रात महिला पति व हिंदूवादीयों के साथ थाने पहुंची और एजाज के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दे रात पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर विकिसक नगर से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के न्यायिक आरोपित मूलतः रतलाम का रहने वाला है।

घर में घुसकर हमला, युवक की मौत, तीन आरोपी धराए

रंजिश के चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ की थी मारपीट

इंदौर। रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। इसी का बदला लेने के दूसरे पक्ष ने भी घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक चाकू लगने से बुरी तरह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्त में लिया है।

मामला बागमंगा थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी राजेन्द्र सोनी के फेरियादी रेखाबाई ने बताया सोमवार रात एक बजे अभय पटेल, मनीष पासो, शुभम करारे

मरे घर पहुंचे और वहां किसी बात पर उनमें विवाद हुआ। इस पर अतिवृत्त तारी, कालू उर्फ गौरव, सौंदी उर्फ प्रतीक, वसंत शर्मा, आकाश बगरेले और सागर ने मारपीट की। मारपीट में राज को चाकू लगने से गंभीर चोट आई। उसे इलाज हेतु एमबला भेजा गया था, जहां मंगलवार देर रात राज की मौत हो गई। झगड़े का मुख्य कारण 2 जून की घटना है। इस दिन मनीष पासो, विजय पटेल, अभय पटेल, खोटू व अन्य की रेखाबाई ने शिकायत की थी, जिसमें अपने बेटे राज को पाइप मारने की बात कही गई थी। इसी बात से खोटू नाराज था। उसने अपने साथियों को घटना बताई थी। साथियों ने बदले की नीयत से रेखाबाई के बेटे से मारपीट की।

कमलनाथजी के शीघ्र स्वस्थ होने की रणजीत हनुमानजी से प्रार्थना

इंदौर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उ्कलानित अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के अस्वस्थ होने पर प्रीए के चलते मेवाता अस्पताल गुडगांव में मर्ती होने पर इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने हनुमानजी के मंत्र कमलनाथ जी के लिए प्रसिद्ध रणजीत हनुमानजी के मंदिर जाकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर प्रार्थना की।

जीजा ने साले को पीटा

इंदौर। निरंजनपुर बस्ती में रहने वाले मनिंदर पिता कृपालसिंह ने अपने जीजा निवासी ग्राम रेवटी सतपाल सिंह के खिलाफ मारपीट की शिकायत लखीपुरा थाने में की है। मनिंदर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर में घर आए और पूछने लगे कि तुम्हारी बहन कहाँ है। मनिंदर ने कहा कि उसे बहन का पता नहीं है। इस बात पर आरोपित जीजा फेरियादी को गालियां देने लगा। विरोध किया तो मारपीट करने लगा। इसके बाद जाते हुए कहा कि यदि बहन का पता नहीं बताया तो सभी को जान से खतम कर दूंगा। मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है। आरोपित फराह है उसकी तलाश की जा रही है।

हाईकोर्ट में ई - सेवा केन्द्र का उद्घाटन

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर परिसर में ई - सेवा केन्द्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति सुजय पॉल, न्यायाधिपति रोहित आर्या, न्यायाधिपति विवेक रूसिया, न्यायाधिपति सुबोध अभ्यंकर, न्यायाधिपति शैलेन्द्र शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल आर.के. वाणी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनिल वर्मा, ओ.एस.डी. / रजिस्ट्रार एम.के. शर्मा, वरिष्ठ प्रमुख प्रणाली विश्लेषक (एन.सी.टी.) जितेन्द्र भदकारे, रजिस्ट्रार (एम) श्री आनन्द च्डी. मण्डलोई, एम.पी. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर की तदर्थ समिति के संयोजक वीर कुमार जैन एवं अन्य, वरिष्ठ अधिवक्तागण, अधिवक्तागण व अन्य गणप्रामान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस ई - सेवा केन्द्र के माध्यम से अधिवक्तागण, पक्षकारगण आदि द्वारा निम्नलिखित ऑनलाईन ई - सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा :



1. प्रकरण की स्थिति, सुनवाई की अगली तिथि एवं अन्य विवरण के संबंध में पूछताछ का संचालन करना। प्रमाणित प्रतियों एवं ऐसी अन्य फाईलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन को सुगम बनाना। सॉफ्टवेयर के माध्यम से याचिकाओं की ई - फाईलिंग को सुगम बनाना। ई - स्टाम्प पेपर / ई - भुगतान / ई - न्यायालय शुल्क की ऑनलाईन क्रय में सहायता करना। एंड्रॉइड एवं डेस्क (आई.ओ.एस) ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ई - कोर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रचार एवं सहायता करना। जेल में बंद संबंधियों से भेंट के लिए ई - मुलाकात ह्व अपॉइन्टमेंट बुक करने को सुगम बनाना। किसी विशेष न्यायालय के स्थान, उसकी कॉज लिस्ट एवं मामले को सुनवाई के लिए लिया गया है या नहीं के संबंध में प्रश्नों का संचालन करना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

डी. पी. आभूषण लिमिटेड

CIN: एल 74999 एम पी 2017 पी एल सी 043234
रजि. ऑफिस : 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
फोन: +91-7412-490966, 408900, 408900; E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

विवरण	31-03-2021 को समाप्त तिमाही के लिए (Q4 FY21 vs Q4 FY20)	31-03-2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (FY21 vs FY20)
आय में वृद्धि	152%	51%
ई बी आई डी टी ए में वृद्धि	49%	48%
पी बी टी में वृद्धि	46%	65%
पी ए टी में वृद्धि	46%	64%

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष एवं तिमाही के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	
	31-03-2021	31-12-2020	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
व्यापार से कुल आय	59,024.54	41,429.48	23,395.18	1,21,828.36	80,905.93
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	1,100.06	1,175.17	751.78	3,663.53	2,224.20
शुद्ध लाभ, (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	1,100.06	1,175.17	751.78	3,663.53	2,224.20
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	827.85	872.36	566.07	2,740.19	1,667.67
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	827.85	872.36	566.07	2,740.19	1,667.67
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश ₹ 10 /-)	2,225.49	2,225.49	2,225.49	2,225.49	2,225.49
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मुल्यांकित संचय को छोड़कर)				7,482.45	4,746.14
प्रति अंश आय (जारी और बंद किये गए व्यापार के लिए)					
मूल : (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	3.72	3.92	2.54	12.31	7.49
मिश्रित : (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	3.72	3.92	2.54	12.31	7.49

टिप्पणियाँ: (1) उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राकृष का एक भाग है। 31-03-2021 को समाप्त तिमाही एवं संपूर्ण वित्तीय वर्ष वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं। (2) उपरोक्त वित्तीय परिणाम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस), भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिष्कारों सहित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियम 33 के अनुसार (जहां तक लागू हो) तैयार किए गए हैं। (3) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है और 09 जून 2021 को आयोजित निर्देशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किये गए हैं। एवं उपरोक्त वित्तीय परिणाम सांख्यिक लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किये गए हैं। (4) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आभूषण बेचने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है, जो अभी चालू होना बाकी है। (5) पिछली वित्तीय अवधि के अंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। (6) मानक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है।

विवरण	समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	
	31-03-2021	31-12-2020	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
शुद्ध विक्री / संचालन से आय	59,024.54	41,429.48	23,395.18	1,21,828.36	80,905.93
लाभ (कर के पहले)	1,106.08	1,175.17	751.78	3,669.55	2,224.20
लाभ (कर के बाद)	833.87	872.36	566.07	2,746.21	1,667.67

तारीख : जून 9, 2021
स्थान : रतलाम
डी. पी. आभूषण लिमिटेड - एस डी विकास कटारिया, (प्रबंध निर्देशक), DIN 02855136